

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०

संख्या-एम०ई०-३/यू०जी०-२०२२/२५

लखनऊ: दिनांक ५ जनवरी, २०२३

यू०पी० नीट यू०जी०-२०२२ के अन्तर्गत बी०डी०एस० पाठ्यक्रम हेतु द्वितीय मॉप-अप राउन्ड की समय-सारिणी तथा आवश्यक दिशा-निर्देश।

मेडिकल काउन्सिल कमेटी की वेबसाइट पर शैक्षणिक सत्र २०२२-२३ हेतु बी०डी०एस० पाठ्यक्रम हेतु जारी किये गये द्वितीय मॉप-अप चक्र की समय सारिणी के दृष्टिगत प्रदेश के निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों में रिक्त बी०डी०एस० पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु द्वितीय चक्र के मॉप-अप राउन्ड की ऑनलाइन समय सारिणी निम्नवत् है:-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक ०६ जनवरी २०२३ पूर्वाह्न ११:०० बजे से दिनांक ०७ जनवरी २०२३ अपराह्न २:०० बजे तक
2	रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने की तिथि	दिनांक ०६ जनवरी २०२३ पूर्वाह्न ११:०० बजे से दिनांक ०७ जनवरी २०२३ सायं ६:०० बजे तक
3	सिक्योरिटी फीस जमा करने की तिथि	दिनांक ०६ जनवरी २०२३ पूर्वाह्न ११:०० बजे से दिनांक ०७ जनवरी २०२३ तक
4	ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन	दिनांक ०६ जनवरी २०२३ अपराह्न ०२:०० बजे से दिनांक ०७ जनवरी २०२३ तक
5	मेरिट लिस्ट जारी किये जाने की सम्भावित तिथि	दिनांक ०७/०८ जनवरी २०२३
6	ऑनलाईन च्वाइस फिलिंग	दिनांक ०९ जनवरी २०२३ पूर्वाह्न ११:०० बजे से ११ जनवरी २०२३ पूर्वाह्न १०:०० बजे तक
7	परिणाम घोषित करने की तिथि	दिनांक ११/१२ जनवरी २०२३
8	आवंटन पत्र डाउनलोड करने तथा प्रवेश लेने की तिथि	दिनांक १२ जनवरी २०२३ से १४ जनवरी २०२३

- मॉप-अप राउन्ड में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थियों को ₹० १०००/- पंजीकरण शुल्क ऑन-लाइन प्रक्रिया से नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करते हुये एन०आई०सी० की वेबसाइट <https://upneet.gov.in> पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- प्रथम मॉप-अप से आवंटित/प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय मॉप-अप हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- प्रथम मॉप-अप से पंजीकृत अभ्यर्थियों को द्वितीय मॉप-अप में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीय मॉप-अप की मेरिट, मॉप-अप-१ एवं मॉप-अप-२ से पंजीकृत अभ्यर्थियों को मिलाकर संयुक्त रूप से घोषित की जायेगी।
- द्वितीय मॉप-अप राउन्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें यू०पी० नीट यू०जी० २०२२ की प्रथम, द्वितीय, मॉप-अप काउन्सिलिंग एवं विस्तारित मॉप के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- ऐसे अभ्यर्थी जो आल इण्डिया कोटा अथवा अन्य प्रदेशों की काउन्सिलिंग से किसी भी मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में नीट यू०जी०-२०२२ के माध्यम से प्रवेशित है, वह अर्ह नहीं होंगे।
- निजी क्षेत्र की बी०डी०एस० पाठ्यक्रम की सीटों हेतु ₹० १,००,०००/- (₹० एक लाख) की सिक्योरिटी धनराशि ऑन-लाइन प्रक्रिया से नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य है।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम, द्वितीय चक्र व मॉप-अप काउन्सिलिंग में सिक्योरिटी जमा की गयी थी और उन्हें किसी भी सीट पर आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें पुनः सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- प्रथम मॉप-अप से पंजीकृत अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिये प्रमाण पत्र अपलोड करते हुये अपने प्रमाण पत्रों को सत्यापित कराया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रथम मॉप-अप से पंजीकृत अभ्यर्थी जो पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं कर पाये थे, वह अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी धनराशि जमा कर प्रतिभाग कर सकते हैं।
- च्वाइस फिलिंग हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिनकी पंजीकरण शुल्क, सिक्योरिटी शुल्क जमा होगा एवं प्रमाण पत्र सत्यापित होंगे।
- द्वितीय मॉप-अप राउन्ड से आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश-प्रक्रिया आवंटित डेन्टल कालेज पर पूर्ण की जायेगी।
- द्वितीय मॉप-अप राउन्ड की प्रवेश प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ एवं विस्तृत विवरण वेबसाइट <https://upneet.gov.in> & www.dgme.up.gov.in पर देखी जा सकती है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु समय-समय पर उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

महानिदेशक